

**कार्यकारी आदेश 2022-19****इलिनॉय के ओपिओइड लिटिगेशन से प्राप्त सेटलमेंट आय के प्रशासन के संबंध में आदेश और इलिनॉय ओपिओइड रिमीडियेशन एडवाइजरी बोर्ड और ओपिओइड सेटलमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के कार्यालय का गठन**

**जबकि**, ओपिओइड महामारी का संयुक्त राज्य अमेरिका के समुदायों, मोहल्लों, परिवारों और निवासियों पर, व इसकी अर्थव्यवस्था और इसकी आबादी के सामान्य स्वास्थ्य और कल्याण पर हानिकारक प्रभाव पड़ा है; तथा

**जबकि**, इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ (IDPH) ने 2020 में इलिनॉय में 2,944 ओपिओइड ओवरडोज़ से होने वाली मौतों की रिपोर्ट दी, जो 2019 से 33% की वृद्धि दर्शाता है; तथा

**जबकि**, एपिडेमिक के वितरकों और निर्माताओं द्वारा व्यक्तियों और परिवारों को हुए नुकसान को स्वीकार करते हुए, स्टेट अटॉर्नी जनरल ने ओपिओइड्स के उपयोग से प्रभावित हुए लोगों की ओर से रिकवरी के लिए कई मुकदमे दायर किए हैं, और इलिनॉय इस कोशिश में सबसे आगे रहा है; तथा

**जबकि**, इस आदेश पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद से, नेशनल ओपिओइड सेटलमेंट, ओपिओइड वितरकों और निर्माताओं ("सेटलमेंट") के साथ पहुंच गए हैं; तथा

**जबकि**, इस तरह के सेटलमेंट के संबंध में, इस कार्यकारी आदेश की प्रभावी तिथि के अनुसार, इलिनॉय अटॉर्नी जनरल ने कम से कम 94 काउंटियों और 77 नगर पालिकाओं के साथ अपने ओपिओइड-संबंधित मुकदमे से आय के बंटवारे के संबंध में एक समझौता किया है जिसे इलिनॉय ओपिओइड आवंटन समझौते के तौर पर जाना जाता है, जो 30 दिसंबर, 2021 ("अनुबंध") से प्रभावी है, जिसमें कम से कम 250,000 की आबादी वाले सभी काउंटी शामिल हैं, जो राज्य की कम से कम 60% आबादी को दर्शाते हैं; तथा

**जबकि** यह अनुमान है कि यदि रिकवरी अधिकतम हो जाती है, तो अगले 18 वर्षों में इलिनॉय को इन निपटानों से लगभग \$760,000,000 प्राप्त हो सकता है; तथा

**जबकि** यह भी अनुमान लगाया गया है कि इलिनॉय को ओपिओइड महामारी से संबंधित दावों को हल करने वाले निर्णयों या निपटानों से अतिरिक्त रिकवरी प्राप्त होगी और परिणामस्वरूप सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट समझौते के अधीन होगा; तथा

**जबकि**, समझौते के माध्यम से, इस आमदनी का 55% इलिनॉय ओपिओइड रिमीडियेशन स्टेट ट्रस्ट फंड ("फंड") को आवंटित किया जाता है और इसे भविष्य के ओपिओइड एबेटमेंट उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाना चाहिए; तथा

**जबकि**, यह समझौता आगे इलिनॉय ओपिओइड रिमीडियेशन एडवाइजरी बोर्ड ("एडवाइजरी बोर्ड") की स्थापना प्रदान करता है ताकि राज्य को फंड के प्रशासन और वितरण के संबंध में गैर-बाध्यकारी सिफारिशें प्रदान की जा सकें; तथा

**जबकि**, राज्य फंड के प्रशासन और वितरण के संबंध में अंतिम निर्धारण करेगा; तथा

**जबकि**, कार्यकारी आदेश 2020-02 ने मादक द्रव्यों के सेवन संबंधी विकारों के जुड़े चल रहे मुद्दों को मान्यता दी और ओपिओइड ओवरडोज़ रोकथाम और रिकवरी संचालन समिति की स्थापना की; तथा

**जबकि**, राज्य यह मानता है कि उसे साक्ष्य-आधारित प्रथाओं को लागू करके, स्टेट ओवरडोज़ एक्शन प्लान (SOAP), ओपिओइड ओवरडोज़ रोकथाम और रिकवरी संचालन समिति, और आवश्यक राज्य सेवाओं के लिए समान पहुंच प्रदान करने के लिए ओपिओइड और अन्य पदार्थों के लिए इलिनॉय हेल्पलाइन की स्थिरता के लिए ओपिओइड संकट को दूर करने के प्रयासों से जोड़ना जारी रखना चाहिए; तथा

**जबकि**, IDPH ओवरडोज़ से संबंधित डेटा से पता चलता है कि इलिनॉय में कुछ समुदाय असमान रूप से प्रभावित हो रहे हैं। 2021 में, गैर-हिस्पैनिक गैरों (प्रत्येक जनसंख्या के प्रति 100,000 पर 20.8) के बीच ओवरडोज़ मृत्यु दर की तुलना में गैर-हिस्पैनिक अश्वेतों (प्रत्येक जनसंख्या के प्रति 100,000 पर 55.3) में ओवरडोज़ मृत्यु दर सबसे अधिक थी;

**जबकि**, यह इलिनॉय के व्यक्तियों के सर्वोत्तम हित में है कि इसके प्रोग्राम और नीतियां असमानताओं को दूर करने वाले व्यक्तियों और समुदायों के लिए रोकथाम और उपचार तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए समान रूप से फंड वितरित करती हैं; तथा

**जबकि**, DHS, IDPH, इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ़ हेल्थकेयर एंड फैमिली सर्विसेज, इलिनॉय स्टेट पुलिस, SOAP पर अन्य राज्य एजेंसियों और अन्य क्षेत्राधिकारों के साथ काम करता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ओवरडोज़ शमन रणनीतियां सुलभ हैं; तथा

**जबकि**, ओपिओइड सेटलमेंट फंडिंग का उपयोग ओवरडोज़ एबेटमेंट प्रोग्राम (अनुमोदित एबेटमेंट प्रोग्राम) के लिए किया जाएगा, जिसमें निम्न शामिल हो सकते हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

1. एक ओपिओइड ओवरडोज़ को रिवर्स करने के लिए नालोक्सोन या अन्य FDA-अनुमोदित दवा
2. दवा से सहायक उपचार/दवा सहायक रिकवरी
3. ओपिओइड उपयोग विकार वाली गर्भवती औरतों और प्रसवोत्तर व्यक्तियों के लिए सेवाएं
4. नवजात-संयम सिंड्रोम के लिए सेवाएं
5. ब्रिज लिए (वार्म हैंड-ऑफ) और रिकवरी ओरिएंटेड सेवाएं
6. कैदियों का उपचार
7. रोकथाम के प्रोग्राम
8. नुकसान कम करना और सिरिज सर्विस के प्रोग्राम

अब, अतएव, इलिनॉय राज्य के संविधान के अनुच्छेद V द्वारा मुझे इलिनॉय राज्य के राज्यपाल के रूप में निहित शक्तियों द्वारा और इलिनॉय राज्य के लोगों के सामान्य कल्याण की रक्षा और उसका प्रचार करने के लिए राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य कानूनों में निर्धारित शक्तियों के अनुरूप, मैं इसके द्वारा निम्नलिखित आदेश देता हूँ:

**अनुभाग 1.** ऑफिस ऑफ़ ओपिओइड सेटलमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ("ऑफिस") इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ़ ह्यूमन सर्विसेज ("IDHS" या "डिपार्टमेंट") के भीतर बनाया गया है।

**अनुभाग 2.** कार्यालय पदार्थ उपयोग, रोकथाम और रिकवरी विभाग ("SUPR") के विभाग के भीतर रहेगा और कार्यालय का नेतृत्व करने के लिए मेरे द्वारा एक राज्यव्यापी ओपिओइड सेटलमेंट एडमिनिस्ट्रेटर (SOSA) नियुक्त किया जाएगा। इस बीच, सचिव द्वारा नामित एक नामित व्यक्ति, शुरू में SOSA के रूप में कार्य करेगा और कार्यालय द्वारा सचिव, राज्यपाल के कार्यालय और अटॉर्नी जनरल के कार्यालय को की गई सभी कार्रवाई की रिपोर्ट करेगा।

**अनुभाग 3.** फंडों के नियोजन, प्रबंधन और वितरण में सहायता के लिए कार्यालय IDHS/SUPR के लिए उचित रूप से वित्तीय और/या प्रशासनिक एजेंटों का चयन कर सकता है। IDHS/SUPR प्रासंगिक राज्य एजेंसियों के साथ काम करेगा ताकि इसके संचालन को अनुकूलित करने और मेडिकेड मैच को अधिकतम करने के लिए उपयुक्त, विशिष्ट कार्यों को डिजाइन किया जा सके।

**अनुभाग 4.** कार्यकारी आदेश 2020-02 को आगे बढ़ाने और उसमें निर्धारित लक्ष्यों को बढ़ावा देने के लिए, मैं इलिनॉय ओपिओइड रिमीडियेशन एडवाइजरी बोर्ड ("बोर्ड") की स्थापना कर रहा हूँ जो ओपिओइड ओवरडोज़ रोकथाम और रिकवरी संचालन समिति ("समिति") की उपसमिति के तौर पर कार्य करेगा। बोर्ड की अध्यक्षता राज्य के चीफ बिहेवियरल हेल्थ अफसर करेंगे जो गैर-मतदान/पदेन क्षमता में कार्यरत हैं।

ओपिओइड सेटलमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का कार्यालय, अपना काम करने में बोर्ड का समर्थन और सहायता करेगा। बोर्ड भविष्य में स्वीकृत एबेटमेंट प्रोग्राम के लिए फंड में धन के उपयोग के संबंध में समिति को सलाहकार सिफारिशें करेगा जैसा कि समझौते में निर्धारित किया गया है। समिति बोर्ड की सलाहकार सिफारिशों पर विचार करेगी और फंड के पैसे के उपयोग के बारे में अंतिम निर्धारण करेगी। अटॉर्नी जनरल या उनके डिज़ाइनर खर्च से पहले समझौते की शर्तों, सेटलमेंट और किसी भी अदालत के आदेश के अनुपालन को प्रमाणित करेंगे।

**अनुभाग 5.** बोर्ड में सोलह (16) से अधिक मतदान सदस्य और ग्यारह (11) पदेन (गैर-मतदान) सदस्य शामिल नहीं होंगे। मतदान करने वाले सदस्यों में से आठ (8) राज्य द्वारा नियुक्त व्यक्ति होंगे और आठ (8) स्थानीय सरकारों की ओर से प्रतिनिधि होंगे, जिनमें से एक (1) शिकागो शहर की ओर से प्रतिनिधि होगा। इलिनॉय ऑफ़िस ऑफ़ अटॉर्नी जनरल, इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ़ ह्यूमन सर्विसेज के सचिव के परामर्श से राज्य की नियुक्तियाँ करेगा। भाग लेने वाली स्थानीय सरकारों के शेष सात (7) प्रतिनिधियों को 30 दिसंबर, 2021 से प्रभावी इलिनॉय ओपिओइड आवंटन समझौते में निर्दिष्ट अनुसार अटॉर्नी जनरल द्वारा नियुक्त किया जाएगा और सात (7) सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रों के इलिनॉय विभाग में से प्रत्येक से स्थानीय सरकारों का प्रतिनिधित्व किया जाएगा। प्रारंभिक नियुक्तियों में से, चार (4) राज्य नियुक्तियाँ और चार (4) स्थानीय नियुक्तियाँ प्रत्येक दो साल की अवधि के लिए होंगी; चार (4) राज्य नियुक्तियाँ और चार (4) स्थानीय नियुक्तियाँ प्रत्येक चार साल की अवधि के लिए होंगी। इसके बाद सभी नियुक्तियाँ चार साल की अवधि के लिए होंगी। पदेन सदस्यों में निम्नलिखित लोग शामिल होंगे:

1. इलिनॉय अटॉर्नी जनरल (ILLINOIS ATTORNEY GENERAL) या डिज़ाइनर।
2. राज्य के मुख्य व्यवहार स्वास्थ्य अधिकारी, या डिज़ाइनर।
3. इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ़ ह्यूमन सर्विसेज के सचिव, या डिज़ाइनर।
4. इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ़ पब्लिक हेल्थ के निदेशक, या डिज़ाइनर।
5. इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ़ हेल्थकेयर एंड फैमिली सर्विसेज के निदेशक, या डिज़ाइनर।
6. इलिनॉय राज्य पुलिस के निदेशक, या डिज़ाइनर।
7. इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ़ करेक्शनज के निदेशक, या डिज़ाइनर; और
8. इलिनॉय हाउस ऑफ़ रिप्रेजेंटेटिव्स का एक सदस्य जिसे सदन के इलिनॉय स्पीकर द्वारा नियुक्त किया जाता है।
9. इलिनॉय सीनेट के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त इलिनॉय सीनेट का एक सदस्य।
10. इलिनॉय हाउस माइनॉरिटी लीडर द्वारा नियुक्त इलिनॉय हाउस ऑफ़ रिप्रेजेंटेटिव का सदस्य।
11. इलिनॉय सीनेट माइनॉरिटी लीडर द्वारा नियुक्त इलिनॉय सीनेट का एक सदस्य।

**अनुभाग 6.** बोर्ड राज्य के सभी हिस्सों में संसाधनों का एक समान वितरण सुनिश्चित करने की कोशिश करेगा, जिसमें जनसांख्यिकी के साथ-साथ ओपिओइड की कमी से संबंधित अन्य कारकों को ध्यान में रखा जाएगा, जिसमें ओपिओइड उपयोग विकार, ओवरडोज से होने वाली मौतें, और भी बहुत कुछ शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है और प्रत्येक क्षेत्र में भेजे जाने वाले ओपिओइड की मात्रा को मॉर्फिन मिलीग्राम समकक्षों में मापा जाता है और यह समिति को ओपिओइड निर्भरता को रोकने और रिकवरी को बढ़ावा देने के लिए फंड मनी के उच्चतम और सर्वोत्तम उपयोग पर सलाह देगा। इस उद्देश्य के लिए, कार्यालय तकनीकी सेवा प्रदाताओं को लाइव विशेषज्ञता वाले व्यक्तियों, विषय-वस्तु विशेषज्ञों और अन्य इच्छुक पार्टियों को शामिल करने के लिए, ओपिओइड कमी को संबोधित करने के लिए, विचार के लिए एक व्यापक योजना विकसित करने के लिए शामिल करेगा।

**अनुभाग 7.** बोर्ड, बोर्ड को सलाह देने के लिए एक या अधिक कार्यकारी समूह बना सकता है। ऐसे कार्य समूह, यदि बनाए जाते हैं, तो उनकी अध्यक्षता बोर्ड के एक सदस्य द्वारा की जाएगी जो किसी भी कार्य समूह की बैठकों और सिफारिशों के बारे में बोर्ड को रिपोर्ट करेगा। अध्यक्ष के अलावा, किसी भी कार्य समूह का गठन बोर्ड के नियुक्त सदस्यों और अन्य नियुक्त सदस्यों दोनों से किया जा सकता है। किसी भी कार्य समूह के अध्यक्ष और कार्य समूह के नियुक्त सदस्यों को मानव सेवा विभाग के सचिव द्वारा अटॉर्नी जनरल के इलिनॉय कार्यालय के परामर्श से नियुक्त किया जाएगा, और सचिव के कहने पर काम किया जाएगा।

**अनुभाग 8.** कार्यालय अन्य राज्य एजेंसियों, नगरपालिकाओं, और स्थानीय और क्षेत्रीय सरकार की अन्य इकाइयों के साथ मिलकर काम करेगा ताकि बोर्ड को ओपिओइड उपयोग विकार के लिए एक एकीकृत और पूरक दृष्टिकोण की पहचान करके प्रस्तुत किया जा सके और हमारे समुदायों में आघात को कम किया जा सके और संबोधित किया जा सके।

**अनुभाग 9.** विभाग अनुसंधान, डेटा संग्रह, विश्लेषण, भंडारण और सामान्य प्रशासनिक कर्तव्यों में सहायता के लिए एक शैक्षणिक संस्थान के साथ अनुबंध करने के लिए अधिकृत है।

**अनुभाग 10.** विभाग के पास इस कार्यकारी आदेश के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में सहायता करने के लिए मौजूदा कर्मचारियों को पुनर्निर्देशित करने और/या व्यक्तियों को नियुक्त करने का अधिकार होगा।

**अनुभाग 11.** पदार्थ उपयोग विकार (SUD) का अनुभव करने वाले व्यक्तियों की रिकवरी में सहायता के लिए विभाग मौजूदा संसाधनों का भी लाभ उठा सकता है। इन संसाधनों में आत्महत्या की रोकथाम, एकसाथ घटने वाली स्थितियों, खाद्य असुरक्षा, आवास असुरक्षा, ओवरडोज़ मृत्यु से संबंधित दुख और हानि, और पुरानी आपराधिक न्याय भागीदारी को संबोधित करने के लिए नियोजित सामाजिक सेवा संसाधन शामिल हो सकते हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है।

**अनुभाग 12.** विभाग राज्य के उन क्षेत्रों में शिक्षा और प्रशिक्षण संसाधनों को बनाने और लागू करने के लिए अधिकृत है जो यह निर्धारित करता है कि वे ओपिओइड महामारी से प्रभावित हैं। ऐसे संसाधनों में, सबसे अधिक जोखिम वाले युवाओं की पहचान करना और कैरियर प्रशिक्षण और नौकरी प्लेसमेंट सेवाओं को शामिल करना हो सकता है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है।

**अनुभाग 13.** इस कार्यकारी आदेश में मौजूद किसी भी बात का अर्थ किसी भी संघीय या राज्य कानून या विनियम के उल्लंघन के रूप में नहीं निकाला जाएगा। इस कार्यकारी आदेश में कुछ भी किसी भी राज्य एजेंसी की मौजूदा वैधानिक शक्तियों को प्रभावित या परिवर्तित नहीं करेगा या किसी राज्य एजेंसी के स्थानांतरण, पुनर्नियुक्ति या पुनर्गठन के तौर पर समझा जा सकता है।

**अनुभाग 14.** यह कार्यकारी आदेश किसी भी अन्य पूर्व कार्यकारी आदेश के किसी भी विपरीत प्रावधान को निरस्त करता है।

**अनुभाग 15.** यदि इस सरकारी आदेश के किसी भी प्रावधान या उपयोग को किसी व्यक्ति या परिस्थिति के लिए सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी न्यायालय द्वारा अवैध ठहराया जाता है, तो यह अवैधता किसी अन्य प्रावधान या इस सरकारी आदेश के लागू होने को प्रभावित नहीं करती है, जिसे बिना अवैध प्रावधान के या आवेदन के प्रभावी किया जा सकता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, इस सरकारी आदेश के प्रावधानों को पृथक्करणीय घोषित किया गया है।

**अनुभाग 16.** बोर्ड और बोर्ड द्वारा बनाए गए कोई भी कार्य समूह लागू कानून के उपबंधों के अधीन होंगे जिसमें बिना किसी सीमा के इलिनॉय ओपन मीटिंग्स एक्ट, 5 ILCS 120/, और इलिनॉय फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, 5 ILCS 140/ शामिल हैं। बोर्ड के सदस्य और बोर्ड द्वारा बनाए गए किसी भी कार्य समूह के सदस्य लागू कानून के उपबंधों के अधीन होंगे, जिसमें बिना किसी सीमा के इलिनॉय राज्य के अधिकारी और कर्मचारी नैतिकता अधिनियम, 5 ILCS 430/ शामिल हैं।

**अनुभाग 17.** यह कार्यकारी आदेश राज्य सचिव (सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट) के पास इसे दायर किए जाने पर तत्काल प्रभावी हो जाएगा।

जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker),

राज्यपाल (गवर्नर)

राज्यपाल (गवर्नर) द्वारा 30 अगस्त, 2022 को जारी

राज्य सचिव (सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट) द्वारा 30 अगस्त, 2022 को दायर